डा0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
Dr. Shakuntala Misra National Rehabilitation University, Lucknow
उत्तर प्रदेश सरकार

प्रेषक

कुलसचिव,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय,
लखनऊ।

सेवा में,

(1). **निदेशक,**
दिव्यांगजन सशक्तीकरण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

(2). **समस्त विभागाध्यक्षगण,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(3). **विभागाध्यक्षों से भिन्न समस्त आचार्य,**
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(4). **डॉ0 संजीव गुप्ता,**
एसोसिएट प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

(5). **श्री आशीष कुमार गुप्ता,**
असिस्टेण्ट प्रोफेसर, दृष्टिबाधितार्थ विभाग,
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

पत्रांक :057/पत्रा.सं0—568(द्वितीय)/डा.श.मि.रा.पु.वि./वि0परि0/2021—22 दिनांकः27 अगस्त, 2021

विषयः— डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनांकः 24 अगस्त, 2021 की कार्यवृत्त प्रेषण के सम्बन्ध में।

महोदया/महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ की मा0 विद्या परिषद की 20वीं बैठक दिनाँकः 24 अगस्त, 2021 को लिए गये निर्णयों का कार्यवृत्त की छायाप्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित किये जाने का निदेश हुआ है।

संलग्न— यथोपरि।

भवदीय,
27.8.2021
(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव

डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ
की मा0 विद्या परिषद की
20वीं बैठक दिनाँकः 24 अगस्त, 2021 को आहूत बैठक का कार्यवृत्त

समय–	अपराह्न : 03:00 बजे
स्थान–	प्रशासनिक भवन, पंचम तल स्थित सभागार, डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय, लखनऊ।

उपरोक्त कार्यक्रमानुसार विश्वविद्यालय की मा0 विद्या परिषद की 20वीं बैठक विश्वविद्यालय के पंचम तल स्थित सभागार में सम्पन्न हुई। बैठक में सदस्यों की उपस्थिति संलग्नक के अनुसार रही। बैठक में विभिन्न एजेण्डा बिन्दुओं पर विस्तृत विचार–विमर्श के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिये गयेः–

क्र0सं0	विषय
1/20	**मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक हेतु निर्गत कार्यवृत्त की पुष्टि के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनाँक 21 जून, 2021 के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई।
2/20	**मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनाँक 21 जून, 2021 में लिये गये निर्णयों के अनुपालन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की 19वीं बैठक दिनाँक 21 जून, 2021 में लिये गये निर्णयों की अनुपालन आख्या से अवगत हुई।
3/20	**राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार विश्वविद्यालय के विभिन्न पाठ्यक्रमों का अध्ययन मण्डल के अनुमोदन उपरान्त कार्यक्रम परिमार्जन पर अनुमोदन के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–विश्वविद्यालय में विभिन्न संकायों के अन्तर्गत संचालित विभिन्न विभागों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार पाठ्यक्रमों के परिमार्जन/संशोधन के क्रम में विभागवार गठित विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा समय–समय पर बैठक आहूत करते हुए पाठ्यक्रमों हेतु अपनी संस्तुति की जा चुकी है, जिसको विश्वविद्यालय में लागू किए जाने का मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। विभागीय अध्ययन मण्डल द्वारा की गयी संस्तुति के अनुसार विभागर सूची निम्नवत् है– 1. समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य विभागः 2. वाणिज्य विभाग 3. शिक्षाशास्त्र विभाग 4. इतिहास विभाग 5. अंग्रेजी एवं अन्य विदेशी भाषा विभाग 6. भौतिक विज्ञान विभाग 7. रसायन विज्ञान विभाग 8. हिन्दी एवं अन्य भारतीय भाषा विभाग 9. ललित कला विभाग 10. गणित एवं सांख्यिकी विभाग 11. राजनीतिशास्त्र एवं लोक प्रशासन विभाग 12. अर्थशास्त्र विभाग 13. माइक्रोबायोलॉजी विभाग 14. जीव विज्ञान विभाग (जन्तु विज्ञान) 15. प्रबन्धशास्त्र विभाग 16. वनस्पति विज्ञान विभाग। 17. मानसिक मंदितार्थ विभाग 18. श्रवण बाधितार्थ विभाग। 19. बी0पी0ओ0 पाठ्यक्रम 20. बी0ए0एस0एल0पी पाठ्यक्रम। उपर्युक्त विभागों/पाठ्यक्रमों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार परिमार्जित पाठ्यक्रमों का विभागीय अध्ययन मण्डल की संस्तुतियों के क्रम में मा0 विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ0 शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो0 आर0के0पी0 सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

4/20 **उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शाासन के शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021– 16(26)/2011, दिनांक 15 जून, 2021 के अनुसार विश्वविद्यालय के संकायों के पुनर्गठन किये जाने के सम्बन्ध में।**

<u>निर्णयः</u>– मा0 विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा उच्च शिक्षा अनुभाग–3, उ0 प्र0 शासन के शासनादेश संख्या–1267/सत्तर–3–2021–16 (26)/2011, दिनांक 15 जून, 2021 द्वारा उत्तर प्रदेश के समस्त विश्वविद्यालयों में संचालित विषयों का संकाय निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए एक समिति का गठित करने का निर्णय लिया गया तथा समिति के सदस्यों के नामांकन हेतु कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया गया। उक्त गठित समिति की आख्या विद्या परिषद की अगली बैठक में प्रस्तुत की जायेगी।

5/20 **विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार समग्र एवं बहु–विषय शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों का विकास किये जाने हेतु वोकेशनल एवं स्किल डेवलपमेंट कोर्स के संचालन के सम्बन्ध में।**

<u>निर्णयः</u>–मा0 विद्या परिषद को विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 2020 के अनुसार समग्र एवं बहु–विषय शिक्षा हेतु पाठ्यक्रमों का विकास किये जाने के क्रम में वोकेशनल एवं स्किल डेवलपमेंट कोर्स के संचालन के दृष्टिगत निम्न बिन्दुओं से अवगत कराया गया :–

(क) सह विषय/कोर्स :–

- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को 03 वर्षों (06 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में एक सह–विषय/ कोर्स करना अनिवार्य होगा।
- सह–विषय कोर्स को 40 प्रतिशत. अंको के साथ विद्यार्थी को उत्तीर्ण करना होगा।
- विद्यार्थी के द्वारा इन सह–विषय कोर्स के प्राप्तांक को उनके सी.जी.पी.ए. (कुमूलेटिव ग्रेड प्वाइंट एवरेज) की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। उच्च शिक्षा परिषद, उत्तर प्रदेश के अनुसार यह कोर्स इस प्रकार हैः–
  1. फूड न्यूट्रीशन एण्ड हाईजीन
  2. फर्स्ट एड एण्ड हैल्थ
  3. ह्यूमन वैल्यूज़ एण्ड इनवायरमेंट स्टडीज़
  4. फिज़िकल एजुकेशन एण्ड योगा
  5. एनालिटिक एबिलिटी एण्ड डिजिटल अवेयरनेस
  6. कम्युनिकेशन स्किल्स एण्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट

(ख) वोकेशनल/स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज :–

- स्नातक स्तर के प्रत्येक विद्यार्थी को प्रथम 02 वर्ष (4 सेमेस्टर) के प्रत्येक सेमेस्टर में 03 क्रेडिट का एक कौशल विकास कोर्स (3x4=12 क्रेडिट) करना होगा।
- डॉ0 शकुन्तला मिश्रा राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय में संकायवार इन पाठ्यक्रमों का निर्धारण निम्नानुसार किया जाना है :–

क्र.सं.	संकाय का नाम	वोकेशनल पाठ्यक्रम
1	फैकल्टी ऑफ कॉमर्स	एग्रीप्रेन्योरशिप एण्ड रूरल बिज़नेस
		स्टॉक मार्केट ऑपरेशन्स एण्ड इनवेस्टमेंट्स
		कॉन्सेप्ट एण्ड प्रैक्टिसेज़ ऑफ स्टार्ट–अप्स
2	फैकल्टी ऑफ आर्ट्स एण्ड म्यूज़िक	इन्ट्रोडक्शन टू अर्कियोलॉजी
		कार्यालयी हिन्दी एवं कम्प्यूटर
		सॉफ्ट स्किल्स एण्ड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट
		डाटा कलैक्शन एण्ड प्रज़ेन्टेशन
3	फैकल्टी ऑफ साइंस एण्ड टैक्नोलॉजी	मशरूम कल्टीवेशन एण्ड ट्रेडिंग
		मैडिसिनल बॉटनी
		स्टैटिस्टिकल टैक्नीक्स फॉर डाटा एनालिसिस यूज़िंग एम0एस0 – एक्सेल

- विश्वविद्यालय में पाठ्यक्रम को इस प्रकार से तैयार किया जाना है, जिससे राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 के प्रस्तर 11.2 में उल्लिखित व्यवस्था के अनुसार ऐसी शिक्षण पद्धति को अपनाया जाएगा, जिससे विज्ञान, तकनीकी विषयों के साथ मानविकी एवं कला के विषयों में भी

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(डॉ० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

	मेजर–माइनर विषयों को लेकर विद्यार्थियों द्वारा अध्ययन किया जा सके। **उपर्युक्तानुसार मा० विद्या परिषद के सदस्यों द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित समस्त बिन्दुओं पर विचार–विमर्श करते हुए विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में नवीन शिक्षा सम्बन्धी दिशा–निर्देश में पाठ्यक्रमों में समग्र एवं बहु–विषय हेतु वोकेशनल एवं स्किल डेवलपमेंट कोर्स के संचालन हेतु सम्यक् विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।**
6/20	**विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की दशम् बैठक दिनांक 09 अगस्त, 2021 में लिये गये निर्णय पर विचार।**
	<u>निर्णयः</u>–विश्वविद्यालय की परीक्षा समिति की सम्पन्न दशम् बैठक दिनाँक 09 अगस्त, 2021 के कार्यवृत्त का अवलोकन करते हुए मा० विद्या परिषद्व द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया।
7/20	**विश्वविद्यालय में पी०एच०–डी० हेतु प्रवेश परीक्षा (CRAT) हेतु विषयवार पाठ्यक्रमों का निर्धारण किये जाने पर विचार।**
	<u>निर्णयः</u>–मा० विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में शैक्षिक सत्र 2021–22 के अन्तर्गत पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा **(CRAT)** सम्पन्न कराये जाने हेतु यू०जी०सी० नेट के सिलेबस के अनुसार परीक्षा कराये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया। इसके साथ ही यह भी निर्णय लिया गया कि जिन विषयों में यू०जी०सी० नेट का सिलेबस उपलब्ध नहीं है, उन विषयों हेतु सम्बन्धित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध कराये गये स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के सिलेबस को ही पी.एच.डी. प्रवेश परीक्षा के सिलेबस के रूप में प्रयुक्त किया जाएगा।
8/20	**विश्वविद्यालय में पी०एच०–डी० कार्यक्रम में रिक्त सीटों पर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किये जाने पर विचार।**
	<u>निर्णयः</u>–विश्वविद्यालय में पी०एच०–डी० कार्यक्रम में रिक्त सीटों पर आरक्षण रोस्टर का निर्धारण किये जाने के सम्बन्ध में मा० विद्या परिषद को अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2009 में अध्याय–11 में *"प्रवेशों में आरक्षण"* का प्राविधान किया गया है। अतः विहित व्यवस्था एवं राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत दिशा–निर्देशों का अनुपालन करते हुए उक्त कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रत्येक विभाग को आधार के रूप में स्वीकार करते हुए आरक्षण रोस्टर तैयार किये जाने पर मा० विद्या परिषद द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।
9/20	**राज्यपाल सचिवालय, उ० प्र द्वारा शैक्षिक संवर्ग के भर्ती हेतु निर्गत दिशा–निर्देश के अनुक्रम में विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग के रिक्त पदों के सापेक्ष प्रकाशित विज्ञापन की भर्ती हेतु लिखित परीक्षा आयोजन हेतु पाठ्यक्रम निर्धारण के सम्बन्ध में।**
	<u>निर्णयः</u>–विश्वविद्यालयों में विभिन्न शैक्षणिक पदों पर सीधी भर्ती के माध्यम से नियुक्ति हेतु साक्षात्कार में पारदर्शिता के सन्दर्भ में राज्यपाल सचिवालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के पत्र संख्या–ई–3019/32–जी०ए०/2020, दिनांक 18 मई, 2021 तथा आंशिक संशोधन/स्पष्टीकरण पत्र संख्या–ई–4229/जी०एस०, दिनांकः 02 जुलाई, 2021 द्वारा निर्गत दिशा–निर्देशों को अंगीकृत करते हुए शैक्षिक संवर्ग के विज्ञापित पदों के सापेक्ष भर्ती की जाने की कार्यवाही के सम्बन्ध में भर्ती हेतु लिखित परीक्षा के आयोजन हेतु विषयवार पाठ्यक्रम का निर्धारण किये जाने हेतु उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा राजकीय महाविद्यालयों में सहायक आचार्य के चयन हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षा के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम को अंगीकृत करते हुए विश्वविद्यालय में शैक्षिक संवर्ग की भर्ती की कार्यवाही पूर्ण किए जाने हेतु मा० विद्या परिषद द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त अनुमोदन प्रदान किया गया, परन्तु यदि किसी विषय के लिए उ० प्र० लोक सेवा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित नहीं हुआ है, ऐसे विषयों के पाठ्यक्रम का <u>निर्धारण/अंगीकरण</u> करने हेतु सम्बन्धित संकाय के अधिष्ठाता एवं विभागाध्यक्ष की संस्तुति पर कुलपति, विश्वविद्यालय को अधिकृत किया जाता है।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय

(डॉ० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

10/20 **गैर–शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी पदों पर चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में।**

निर्णयः– मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में गैर–शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी पदों पर चयन हेतु अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में विश्वविद्यालय के कार्यालय ज्ञाप संख्या–482/2021–22, दिनांक 14 जुलाई, 2021 द्वारा विश्वविद्यालय में कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र तथा अन्य पाठ्यक्रम के संचालन हेतु सृजित पदों की अर्हताएं/भर्ती के सम्बन्ध में शासनादेश सं. –3/2016/डी.एस.–18/65– 3–2016–5(वि0वि0)/2015 दिनांक 17.02.2016 एवं शासनादेश सं. –13/2016/डी.एस.–80/65–3–2016– 5(वि0वि0)/2015 दिनांकः 23.05.2016 द्वारा मार्गदर्शी सिद्धान्त, भारतीय पुनर्वास परिषद, नई दिल्ली के दिनांक 12 मई, 2021 द्वारा निर्गत नियमन की गाइडलाइन, मा0 सामान्य परिषद की बैठक में लिए गये निर्णय के अनुपालन में समग्रता से परीक्षण करने व चयन की प्रक्रिया हेतु मार्गदर्शी सिद्धान्त निर्धारण हेतु समिति का गठन किया गया था।

उक्त के अनुक्रम में समिति के सदस्यों द्वारा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र, बी0ए0एस0एल0पी0 एवं बी0पी0ओ0 के अन्तर्गत तकनीकी पदों तथा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सृजित अन्य पदों के तत्सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों का अवलोकन करते हुए उ0 प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की परिधि के बाहर के पदों पर चयन प्रक्रिया से मा0 विद्या परिषद को अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त विश्वविद्यालय में गैर–शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी पदों पर चयन हेतु दिए जाने वाले वेतनमान से भी मा0 परिषद को अवगत कराया गया जो निम्नवत् हैः–

उक्त के अनुक्रम में समिति के सदस्यों द्वारा कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र, बी0ए0एस0एल0पी0 एवं बी0पी0ओ0 के अन्तर्गत तकनीकी पदों तथा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सृजित अन्य पदों के तत्सम्बन्धी विभिन्न शासनादेशों के अवलोकन करते हुए सम्यक् विचारोपरान्त आख्या निम्नानुसार है–

1. वेतनमान(लेवल–11)–
- **(क) समूह–क के पद हेतु चयन प्रक्रिया दो चरणों की होगी, जिसमें प्रथम चरण स्क्रीनिंग का होगा तथा द्वितीय चरण साक्षात्कार का प्रस्तावित है।**
- **(ख) उपलब्ध 01 पद के सापेक्ष अधिकतम 10 गुना अभ्यर्थियों को वरीयताक्रम के आधार पर स्क्रीनिंग किया जाना प्रस्तावित है।**
- **(ग) स्क्रीनिंग का आधार स्क्रीनिंग समिति होगा। स्क्रीनिंग संलग्नक–1 के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है।**
- **(घ) साक्षात्कार (कुल 20 अंक) में डोमेन नॉलेज–10 अंक, कम्यूनिकेशन स्किल–03 अंक, पर्सनालिटी/प्रोफिशिएन्सी–03 अंक एवं कम्प्यूटर पर प्रेजेन्टेशन–04 अंक।**
- **(ङ.) साक्षात्कार में अधिकतम अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को चयनित किया जायेगा।**

2. वेतनमान(लेवल–10)–
- **(क) लेवेल–10 पद हेतु चयन प्रक्रिया लिखित परीक्षा, शैक्षणिक भारांक (संलग्नक–01) एवं साक्षात्कार के माध्यम से की जायेगी।**
- **(ख) पात्र अभ्यर्थियों की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा। उक्त परीक्षा में न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा के प्राप्तांकों का 50 प्रतिशत अंक अन्तिम मेरिट सूची में सम्मिलित किया जायेगा।**

उदाहरणस्वरुप 100 अंकों की लिखित परीक्षा में प्राप्त 60 अंक, साक्षात्कार में 20 अंकों में से प्राप्त 15 अंक तथा शैक्षणिक भारांक के 30 अंकों में प्राप्त 22 अंक, तो कुल 30+15+22=67 अंकों के

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

अनुरुप समेकित मेरिट सूची तैयार की जायेगी। साक्षात्कार में डोमेन नॉलेज, कम्यूनिकेशन स्किल, पर्सनालिटी/प्रोफिशिएन्सी एवं कम्प्यूटर पर प्रेजेन्टेशन के ज्ञान का परीक्षण किया जायेगा।

(ग) लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के 100 अंकों में प्राप्त अंकों का (50 प्रतिशत), साक्षात्कार 20 अंक एवं शैक्षणिक योग्यता का भारांक 30 अंकों (संलग्नक–01) को सम्मिलित करते हुये समेकित मेरिट सूची बनायी जायेगी।

3. वेतनमान (लेवल–07 एवं 08)–

(क) पात्र अभ्यर्थियों हेतु 100 अंकों की लिखित परीक्षा का आयोजन किया जायेगा, जिसमें अभ्यर्थियों को न्यूनतम 50 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा।

(ख) लिखित परीक्षा में चयनित अभ्यर्थियों का लिखित परीक्षा के 100 अंकों में प्राप्त अंकों का (50 प्रतिशत), एवं शैक्षणिक योग्यता का भारांक 30 अंकों (संलग्नक–01) को सम्मिलित करते हुये समेकित मेरिट सूची बनायी जायेगी।

4. कृत्रिम अंग एवं पुनर्वास केन्द्र, एवं तत्सम्बन्धी अन्य पाठ्यक्रम के संचालन तथा सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत सृजित अन्य पदों हेतु प्रस्तावित किये गये पदों की भर्ती हेतु लगाये गये आरक्षण रोस्टर कों अवलोकन करते हुए सही पाया गया है।

5. जिन पदो के सापेक्ष 05 से कम आवेदन हों, उन पदों को पुनर्विज्ञापित किया जायेगा तथा जिन पदों पर 05 से अधिक परन्तु 10 तक आवेदन होगें, उन पदों पर लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जायेगा।

6. लिखित परीक्षा में 50 प्रतिशत अंक धारित किया जाना अनिवार्य होगा। लिखित परीक्षा में विषय ज्ञान, वर्तमान घटनाचक्र (करेन्ट अफेयर्स), गणित(हाई स्कूल लेवल), सामान्य हिन्दी/अंग्रेजी(सीनियर सेकेन्डरी लेवल), दिव्यांगता, के क्षेत्र से सम्बन्धित प्रश्न एवं तार्किक (Reasoning & Aptitude) प्रश्न के आधार पर प्रश्न–पत्र तैयार किया जाय।

7. साक्षात्कार 20 अंक का निर्धारित किया जाय, जिसमें डोमेन नॉलेज–10 अंक, कम्यूनिकेशन स्किल–03 अंक, पर्सनालिटी/प्रोफिशिएन्सी–03 अंक एवं कम्प्यूटर पर प्रेजेन्टेशन–04 अंक का होगा।

8. विश्वविद्यालय के अधिनियम, 2009 एवं परिनियमावली, 2009 में विहित व्यवस्थानुसार गठित चयन समिति में विषय से सम्बन्धित एक विषय विशेषज्ञ सदस्य के रूप में नामित किया जाय।

9. प्रत्येक पद हेतु चयनित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त कम से कम दो अभ्यर्थियों की प्रतीक्षा सूची की संस्तुति की जाये।

(आलोक मिश्रा)
सदस्य

V.K.
(प्रो0 वी0 के0 सिंह)
वरिष्ठ सदस्य

(प्रो0 एच0 एस0 झा)
वरिष्ठ सदस्य

शैक्षणिक योग्यता (परास्नातक) भारांक सूची

संलग्नक–1

उपाधि	प्राप्तांक प्रतिशत में	प्राप्तांक
हाईस्कूल	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	01 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	02 अंक
	65% या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	03 अंक
	70% या उससे अधिक	04 अंक
इण्टरमीडिएट	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	01 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	02 अंक
	65%या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	03 अंक
	70%% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम	04 अंक
	75% या उससे अधिक किन्तु 80% से कम	05 अंक
	80% या उससे अधिक	06 अंक

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

स्नातक	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	03 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	04 अंक
	65% या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	05 अंक
	70% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम	06 अंक
	75% या उससे अधिक किन्तु 80% से कम	07 अंक
	80% या उससे अधिक	08 अंक
परास्नातक	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	06 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	07 अंक
	65% या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	08 अंक
	70% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम	09 अंक
	75% या उससे अधिक किन्तु 80% से कम	10 अंक
	80% या उससे अधिक किन्तु 90% से कम	11 अंक
	90% या उससे अधिक	12 अंक

V.K. Singh

शैक्षणिक योग्यता (स्नातक / डिप्लोमा) भारांक सूची

संलग्नक–1

उपाधि	प्राप्तांक प्रतिशत में	प्राप्तांक
हाईस्कूल	50% से कम प्राप्तांक	शून्य
	50% या उससे अधिक किन्तु 55% से कम	02 अंक
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	04 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	05 अंक
	65% या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	06 अंक
	70% या उससे अधिक	08 अंक
इण्टरमीडिएट	50% से कम प्राप्तांक	शून्य
	50% या उससे अधिक किन्तु 55% से कम	02 अंक
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	03 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	05 अंक
	65%या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	06 अंक
	70%% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम	07 अंक
	75% या उससे अधिक किन्तु 80% से कम	08 अंक
	80% या उससे अधिक	10 अंक
स्नातक / डिप्लोमा	55% से कम प्राप्तांक	शून्य
	55% या उससे अधिक किन्तु 60% से कम	08 अंक
	60% या उससे अधिक किन्तु 65% से कम	09 अंक
	65% या उससे अधिक किन्तु 70% से कम	10 अंक
	70% या उससे अधिक किन्तु 75% से कम	11 अंक
	75% या उससे अधिक	12 अंक

V.K. Singh.

मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में समस्त सदस्यों द्वारा उपर्युक्त उल्लिखित अपनाई जाने वाली प्रक्रिया के निर्धारण के सम्बन्ध में विस्तृत विचारोपरान्त यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया, परन्तु यदि किसी पद के लिए 03 से कम पात्र आवेदन/आवेदक प्राप्त होते हैं तो उसे पुनः विज्ञापित कराया जायेगा।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(प्रो० आर.के.पी. सिंह)

11/20	**गैर–शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी पदों पर लिखित परीक्षा कराये जाने हेतु पाठ्यक्रम निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद द्वारा विश्वविद्यालय में सामान्य प्रशासन के अन्तर्गत गैर–शैक्षिक संवर्ग एवं तकनीकी संवर्ग के पदों पर चयन हेतु परीक्षा कराई जानी है, उन पदों से सम्बन्धित परीक्षाओं के लिए सिलेबस (पाठ्यचर्या) के निर्धारण हेतु उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा निर्धारित सिलेबस तथा अन्य विभिन्न बोर्ड/शैक्षिक संस्थानों/नियामक संस्थाओं (ऐसे सन्दर्भों के लिए जहाँ उ0 प्र0 लोक सेवा आयोग द्वारा पाठ्यक्रम निर्धारित/उपलब्ध नहीं हुआ है) में परीक्षा हेतु निर्धारित सिलेबस (पाठ्यचर्या) का परीक्षण करने हेतु कुलपति द्वारा विशेषज्ञ समिति गठित कर, समिति की संस्तुतियों के आधार पर निर्णय लिया जायेगा।
12/20	**अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।**
(1)	**विश्वविद्यालय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार अन्तर स्नातक ड्राफ्ट अध्यादेश (आर्डिनेंस) एवं नियमावली पर विचार।**
	निर्णयः– विश्वविद्यालनय स्तर पर समस्त अधिष्ठातागण, प्रो0 एच0 एस0 झा, विभागाध्यक्ष, समाजशास्त्र, सामाजिक विज्ञान तथा समाज कार्य, डॉ0 संजीव गुप्ता, विभागाध्यक्ष, वाणिज्य विभाग, डॉ0 राशि कृष्ण सिन्हा, विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र, डॉ0 विजय शंकर शर्मा, विभागाध्यक्ष, दृष्टिबाधितार्थ एवं डॉ0 शशिभूषण, विभागाध्यक्ष, सांख्यिकी एवं गणित विभाग के द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति–2020 में दी गई व्यवस्था के अनुसार तैयार किये गये अन्तर स्नातक ड्राफ्ट अध्यादेश (आर्डिनेंस) एवं नियमावली पर मा0 विद्या परिषद द्वारा यथावांछित अनुमोदन प्रदान किया गया।
(2)	**पीएच0–डी0 कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा के शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में।**
	निर्णयः–मा0 विद्या परिषद की आहूत बैठक में शैक्षिक सत्र 2021–22 से पुनः प्रारम्भ किए जा रहे पीएच0–डी0 कार्यक्रम हेतु प्रवेश परीक्षा आवेदन शुल्क के निर्धारण के सम्बन्ध में निदेशक (प्रवेश) के प्रस्ताव पर विस्तृत विचार–विमर्श करते हुए प्रवेश हेतु आवेदन शुल्क के रूप में दिव्यांगजनों के लिए रू0 750.00 (रू0 सात सौ पचास रूपए मात्र) तथा सामान्य (सकलाँग) अभ्यर्थियों हेतु रू0 1500.00 (रू0 एक जार पाँच सौ रूपए मात्र) निर्धारित किए जाने का निर्णय लिया गया।
	किसी अन्य बिन्दु के अभाव में सधन्यवाद बैठक का समापन किया गया।

(अमित कुमार सिंह)
कुलसचिव
डॉ० शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ

(डॉ० आर.के.पी. सिंह)
कुलपति
डॉ. शकुन्तला मिश्रा
राष्ट्रीय पुनर्वास विश्वविद्यालय
लखनऊ